निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 139) पटना, मंगलवार, 2 मार्च 2021

Je lalk/ku foHkkx ¼Je i{k½

आदेश

27 फरवरी 2021

l0 2@b3&258@2018&08@J0l0—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0–32079/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–477 दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–1094 दिनांक–09.07.2020 के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए निम्नलिखित अनुदेशकों को समायोजित करते हुए समूह–'घ' (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में वेतन स्तर–1 प्रारंभिक वेतन 18000/– (18000–56900/–) में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए स्तंभ–7 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

Ø0 l0	Hkwr iwoZ vukSipkfjd f'k{kk vuqns'kd dk uke	firk@ifr dk uke	tUe frfFk	tkfr@ dkfV	xg ftyk	inLFkkiu dk dk;kZy;
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जनार्दन विश्वास	दरोगी लाल विश्वास	25.12.1968	BC-2	पूर्णिया	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, कटिहार
2	श्री शम्भू प्रसाद साह	गंगा प्रसाद साह	04.01.1969	BC-2	पूर्णिया	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सहरसा
3	मो0 साबिर हुसैन	मो0 शरफुद्दीन	07.01.1969	BC-2	पूर्णिया	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सहरसा
4	श्री दिलीप कुमार यादव	नारायण यादव	04.03.1973	BC-2	दरभंगा	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, दरभंगा
5	नूर मोहम्मद	खैर मोहम्मद	15.04.1973	BC-2	किशनगंज	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, कटिहार

Ø0 l0	Hkr iio! vukipkfjd f'k{kk vuin'kd dk uke	firk@ifr dk uke	tUe frfFk	tkfr@dkfV	xg ftyk	inLFkkiu dk dk;ky;
1	2	3	4	5	6	7
6	श्री गणेश प्र0 सिंह	स्व0 कुसुम लाल सिंह	02.06.1973	BC-2	किशनगंज	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, कटिहार
7	श्रीमती नीलम कुमारी	महेश सिंह	16.06.1976	BC-2	पटना	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, अरवल
8	श्री प्रमोद कुमार प्रवीण	रामपुकार यादव	23.06.1975	BC-2	दरभंगा	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, दरभंगा
9	इशरत प्रवीण	मो0 शाकीर आलम	31.01.1977	BC-2	किशनगंज	श्रम अधीक्षक, किशनगंज
10	श्री सदानंद यादव	शिशिलाल यादव	03.01.1979	BC-2	अररिया	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, कटिहार
11	श्री अरूण कुमार	सियाराम सिंह	05.01.1964	GEN	लखीसराय	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, दरभंगा
12	श्रीमती प्रेमा कुमारी	जय प्रकाश शर्मा	02.01.1968	GEN	लखीसराय	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुंगेर
13	श्री पंकज कुमार	केदार सिंह	28.08.1969	GEN	लखीसराय	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, गया
14	मो0 शमशुद्दीन अंसारी	मो0 इंसान अंसारी	04.11.1970	BC-1	लखीसराय	श्रम अधीक्षक का कार्यालय,खगड़िया
15	श्री धीरज कुमार	राम किशोरी साव	15.04.1971	BC-1	लखीसराय	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, खगड़िया
16	श्रीमती कंचन कुमारी	केदार सिंह	20.08.1971	GEN	लखीसराय	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, खगड़िया
17	श्री सुनील कुमार शर्मा	स्व0 सत्यनारायण शर्मा	08.12.1971	BC-1	लखीसराय	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, बांका
18	श्री रवीन्द्र कुमार	कामेश्वर प्रसाद यादव	04.04.1976	BC-2	पूर्णिया	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना

2. इनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायाफ्ता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964, दिनांक– 31.08.2005, एवं 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।

6. यह नियुक्ति जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह–'घ' के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा हैं। यदि कोई प्रमाण–पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ–साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

7. जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक–477 दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–1094 दिनांक–09.07.2020 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

8. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0–2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

9. सभी नव नियुक्त कर्मी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vkns'k ls]
jftrk]
Jek;DrA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 139-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in